उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक
विकास प्राधिकरण

UPSIDA

यूपीएसआईडीसी काम्प्लेक्स,
ए–1/4, लखनपुर,
कानपुर–208024
फोन नं0
0512–2582851–53(पीबीएक्स),
फैक्स : 0512–2580797
वेबसाईट–www.onlineupsidc.com

संदर्भ सं0 1027-1035 /यूपीसीडा/औ0क्षे0/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 29-7-20

कार्यालय आदेश

प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटियों/हस्तांतरियों को अनुमन्य अधिकतम समयसीमा के उपरान्त इकाई स्थापित न करने पर आबंटन निरस्त किये जाने एवं उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति–2017 के क्रम में आबंटियों/हस्तांतरियों द्वारा पूँजीनिवेश के अनुसार उद्योग स्थापना हेतु अधिकतम समयसीमा निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में प्राधिकरण बोर्ड की दिनांक 11.06.2020 को सम्पन्न 35वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में प्राधिकरण के तत्सम्बन्धित पूर्व में निर्गत कार्यालय आदेश सं0 671–674/एसआईडीसी/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 14.06.2017 के प्रस्तर–2 व 3 को अवक्रमित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:–

(2) **औद्योगिक भूखण्डों के हस्तांतरण एवं समर्पण की नीति**

(क) प्राधिकरण के आपरेटिंग मैनुअल(औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष–2011 के प्रस्तर 6.01 में दी गयी परिभाषा के अनुसार रिक्त भूखण्डों का हस्तांतरण अनुमन्य नहीं होगा।

(ख) ऐसे औद्योगिक भूखण्ड जिनके आबंटन से 5 वर्ष की अवधि व्यतीत नहीं हुई है तथा प्रश्नगत भूखण्ड प्राधिकरण के आपरेटिंग मैनुअल(औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष–2011 चेप्टर–6 के प्रस्तर–6.01 में दी गयी परिभाषा के अनुसार "रिक्त भूखण्ड" की श्रेणी में आता है, के हस्तांतरण हेतु दिनांक 31.03.2019 तक प्राप्त आवेदन पत्रों पर मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा गुण दोष के आधार पर निर्णय लिया जायेगा तथा ऐसे भूखण्डों का हस्तांतरण प्रचलित प्रीमियम दर का 15 प्रतिशत प्रतिवर्गमीटर की दर से देय हस्तांतरण लेवी सहित अनुमन्य होगा।

(ग) औद्योगिक भूखण्ड समर्पण को अधिक आकर्षक बनाने के लिये समर्पण की वर्तमान में प्रचलित नीति में इस सीमा तक संशोधन किया जाता है कि वर्तमान नीति के अनुसार वापसी योग्य धनराशि के साथ आबंटी द्वारा भूखण्ड के प्रीमियम पर ब्याज के मद में जमा की गयी कुल धनराशि में से मात्र 40 प्रतिशत कटौती करते हुए अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि वापस कर दी जायेगी। समर्पण की यह सुविधा उन्हीं आबंटियों को अनुमन्य रहेगी जिनका समर्पण हेतु आवेदन दिनांक 31.12.2017 तक प्राधिकरण में प्राप्त हो गया हो। उक्त सुविधा दिनांक 31.12.2017 के पश्चात् प्राप्त समर्पण के आवेदनों में उन्ही आबंटियों को उपलब्ध होगी जिनका आबंटन 5 वर्ष से अधिक पुराना न हो।

Scanned with CamScanner

(घ) प्राधिकरण के आपरेटिंग मैनुअल(औद्योगिक क्षेत्र) वर्ष–2011 चेप्टर–6 के प्रस्तर–6.08 में उत्पादनरत इकाईयों को संज्ञानित करने हेतु मानकों में संशोधन करते हुए उन इकाईयों को उत्पादरत संज्ञानित किया जायेगा जिनमें आबंटी द्वारा भूखण्ड का पट्टाविलेख निष्पादित/पंजीकृत कराने के उपरान्त भूखण्ड के न्यूनतम 5 प्रतिशत आच्छादित क्षेत्रफल पर निर्माण कर इकाई के उत्पादन के साक्ष्य के सम्बन्ध में जीएसटी पंजियन प्रमाण पत्र, क्रय–विक्रय बिल, उद्योग आधार प्रमाण पत्र, बिजली के बिल, मीटर सीलिंग प्रमाण पत्र इत्यादि स्वप्रमाणित प्रपत्र प्रस्तुत किये गये हों।

(च) प्राधिकरण के समस्त औद्योगिक विकास क्षेत्रों के उद्यमियों को हस्तांतरित औद्योगिक भूखण्डों पर इकाईयों के उत्पादनरत संज्ञानित किये जाने हेतु अनुमन्य अवधि निम्नवत् होगी–

1. हस्तांतरित भूखण्डों पर हस्तांतरी द्वारा पूर्व आबंटी की स्थापित/उत्पादनरत इकाई को यथावत् उत्पादनरत करते हुए क्रियान्वित किये जाने की दशा में ऐसे समस्त हस्तांतरियों को इकाई स्थापना/उत्पादनरत किये जाने हेतु हस्तांतरण की तिथि से 01 वर्ष की अवधि कार्यालय आदेश संख्या 671–674/एसआईडीसी/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 14.06.2017 के प्रावधानों के अनुसार यथावत अनुमन्य होगी।

2. हस्तांतरित भूखण्डों पर हस्तांतरी द्वारा भूखण्ड पर किये गये पूर्व निर्माण को पूर्णतः ध्वस्त करने के उपरान्त नये निर्माण के साथ इकाई स्थापित/उत्पादनरत करने की दशा में ऐसे समस्त हस्तांतरियो को नये आबंटियों के समतुल्य माना जायेगा तथा प्राधिकरण के प्रचलित नियमों के अनुसार नये आबंटियों को उपलब्ध इकाई स्थापना/उत्पादनरत किये जाने हेतु निम्न तालिका के अनुसार अवधि अनुमन्य होगी–

क्र0 सं0	परियोजना में प्रस्तावित पूँजीनिवेश	उपरोक्त बिन्दु–च(2) में वर्णित हस्तांतरित भूखण्डों पर इकाई उत्पादनरत किये जाने की अनुमन्य अवधि
1.	रू0 25.00 करोड़ तक	02 वर्ष
2.	रू0 25.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू0 50.00 से कम	03 वर्ष
3.	रू0 50.00 करोड़ से अधिक किन्तु रू0 100.00 से कम	04 वर्ष
4.	रू0 100.00 करोड़ व उससे ऊपर	05 वर्ष

(3) औद्योगिक भूखण्डों के समय विस्तारण एवं निरस्तीकरण की नीति

(अ) आबंटित औद्योगिक भूखण्डों हेतु समय विस्तारण एवं निरस्तीकरण की नीति–

आबंटित भूखण्डो को उत्पादनरत संज्ञानित किये जाने हेतु अनुमन्य अवधि में आबंटी द्वारा विभिन्न चरणों में समयान्तर्गत कार्यवाही करते हुए भूखण्ड का समुचित उपयोग सुनिश्चित

Scanned with CamScanner

करने के उद्देश्य से आबंटन के उपरान्त विभिन्न क्रियाकलापों हेतु समय–समय पर पत्र/नोटिस भेज कर आबंटी को जागरूक/सचेत किया जाये। इस सम्बन्ध में निम्नवत् समयसीमा के अनुसार कार्यवाही की जायेगी–

क्र0 सं0	कार्यकलाप	आबंटी को पत्र प्रेषित कर अनुरोध किया जाना	निरस्तीकरण हेतु नोटिस निर्गत किया जाना
1.	पट्टाविलेख का निष्पादन एवं पंजीकरण	आबंटन तिथि से 02 माह पश्चात्	आबंटन तिथि से 03 माह की अवधि व्यतीत होने पर
2.	कब्जा प्राप्त करना	पट्टाविलेख पंजीकरण के तुरन्त बाद	पट्टाविलेख की तिथि से 01 माह बाद
3.	स्वीकृति हेतु भवन मानचित्र प्रस्तुत करना	कब्जा प्राप्ति के तुरन्त बाद	कब्जा प्राप्ति के 03 माह बाद
4.	भवन निर्माण प्रारम्भ करना	मानचित्र स्वीकृति के तुरन्त बाद	मानचित्र स्वीकृति के 01 माह बाद
5.	उत्पादन प्रारम्भ करना	मानचित्र स्वीकृति के 01 वर्ष बाद	आबंटन पत्र में इकाई स्थापना हेतु अनुमन्य समय सीमा समाप्त होने पर

उपरोक्तानुसार इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने पर भी यदि आबंटी द्वारा नोटिस अवधि में सम्बन्धित चरण की कार्यवाही पूर्ण नहीं की जाती है तो भूखण्ड का आबंटन निरस्त कर दिया जायेगा।

औद्योगिक भूखण्डों के नये आबंटन में आबंटन पत्र में इकाई स्थापना हेतु अनुमन्य समयसीमा समाप्त होने पर इस कार्यालय आदेश के प्रस्तर–2(घ) में परिभाषित इकाई के उत्पादनरत संज्ञानित होने की तिथि तक प्राधिकरण के नियमानुसार समय विस्तारण शुल्क की देयता सहित उन्हीं आबंटियों को समय विस्तारण अनुमन्य होगा जिनके द्वारा उपरोक्त तालिका के क्रम संख्या 1 से 4 तक अंकित कार्यकलाप निर्धारित अवधि में पूर्ण कर लिये गये हों। समय विस्तारण आबंटन की तिथि से 5 वर्ष के उपरान्त अनुमन्य नहीं होगा।

भूखण्डों के निरस्तीकरण हेतु कार्यवाही प्रस्तर–3(ब) के अनुसार सुनिश्चित की जायेगी।

(ब) आबंटित/हस्तांतरित औद्योगिक भूखण्डों के निरस्तीकरण की नीति

प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में आबंटित/हस्तांतरित भूखण्डों के आबंटन को निम्न दशाओं में सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्तीकरण की कार्यवाही जानी होगी–

(क) प्राधिकरण के समस्त आबंटित भूखण्डों को कार्यालय आदेश के प्रस्तर–3(अ) में वर्णित इकाई स्थापना के विभिन्न चरणों की कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु नोटिस निर्गत किये जाने पर भी यदि आबंटी द्वारा नोटिस अवधि में सम्बन्धित चरण की कार्यवाही

Scanned with CamScanner

निर्धारित समयावधि में पूर्ण नहीं की जाती है तो भूखण्ड का आबंटन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रो में औद्योगिक भूखण्डों/हस्तान्तरियों द्वारा आवंटन/हस्तान्तरण की तिथि से 5 वर्ष अथवा अनुमन्य विस्तारित समयावधि (जोकि आवंटन/हस्तान्तरण से 5 वर्ष से अधिक न हो) के उपरान्त उत्पादन प्रारम्भ न किया गया हो तो उनको अन्तिम रूप से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 6 माह का नोटिस निर्गत किया जायेगा तथा उक्त अवधि में उत्पादन प्रारम्भ न करने पर भूखण्ड का आबंटन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(ग) प्राधिकरण के औद्योगिक विकास क्षेत्रों में औद्योगिक भूखण्डों के आबंटियों/हस्तान्तरियों द्वारा इस कार्यालय आदेश निर्गत होने की तिथि के पूर्व उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया हो किन्तु यदि उनके द्वारा लीजडीड निष्पादन/पंजीकरण नहीं कराया गया हो तो उनको अन्तिम रूप से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 6 माह का नोटिस निर्गत किया जायेगा। उक्त अवधि में लीजडीड निष्पादन/पंजीकरण की तिथि तक का समय विस्तारण आबंटियों/हस्तांतरियों को सशुल्क अनुमन्य किया जायेगा जो कि किसी भी दशा में नोटिस निर्गत किये जाने की तिथि से 6 माह से अधिक नहीं होगा। नोटिस की तिथि से 6 माह की अवधि में लीजडीड निष्पादन/पंजीकरण की कार्यवाही पूर्ण नही किए जाने पर भूखण्ड का आबंटन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

(घ) ऐसे प्रकरण जिनमें उत्पादन प्रारम्भ कर दिया गया है परन्तु कब्जा हस्तांतरण एवं भवन मानचित्र स्वीकृति प्राप्त न की गई है, को यह समस्त कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अन्तिम रूप से क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा 6 माह का नोटिस निर्गत किया जायेगा। नोटिस की तिथि से 6 माह की अवधि में उक्त कार्यवाही पूर्ण नही किए जाने पर भूखण्ड का आबंटन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा। उपरोक्त नोटिस अवधि में कब्जा हस्तांतरण तथा भवन मानचित्र स्वीकृत की कार्यवाही नियमानुसार शमन शुल्क सहित अनुमन्य की जायेगी।

(च) उक्त बिन्दु-'ख' व 'ग' के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निर्गत निरस्तीकरण नोटिस की अवधि में यदि आवंटी/हस्तान्तरी को परियोजना उत्पादनरत संज्ञानित करने हेतु अनुमन्य समय/विस्तारित अवधि समाप्त हो चुकी हो तो ऐसी दशा में आवंटी/हस्तान्तरी द्वारा नोटिस अवधि में इकाई उत्पादनरत करने हेतु आवंटी को नोटिस की तिथि से अग्रिम 6 माह तक का अधिकतम समयविस्तारण अन्तिम रूप से अनुमन्य किया जाएगा। ऐसे प्रकरणों में क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा यह तथ्य निरस्तीकरण नोटिस में अंकित किया जायेगा एवं नियमानुसार देय समय विस्तारण शुल्क की देयता

Scanned with CamScanner

की मॉग भी नोटिस में अंकित की जायेगी तथा निर्धारित समय में आबंटी द्वारा समय विस्तारण शुल्क जमा करने पर समय विस्तारण स्वतः अनुमन्य होगा।

(छ) भूखण्ड के सापेक्ष नियमानुसार देयों का भुगतान समय से न करने की स्थिति में अथवा आबंटन पत्र/लीज डीड की अन्य शर्तो का उल्लंघन किये जाने पर प्राधिकरण के नियमानुसार क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरस्तीकरण नोटिस निर्गत किये जायेगें तथा नोटिस अवधि के समाप्त होने पर भूखण्ड का आबंटन सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त कर दिया जायेगा।

उपरोक्त से आच्छादित आबंटियों/हस्तांतरियों को सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा चिन्हित करते हुए कार्यालय आदेश निर्गमन की तिथि से 15 दिनों के अन्दर नोटिस निर्गत करते हुए नोटिस की तामीली सुनिश्चित की जायेगी। प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा निरस्तीकरण नोटिस की प्रति को प्राधिकरण की वेबसाईट पर क्षेत्रीय कार्यालयवार अपलोड कराया जायेगा। जिस औद्योगिक क्षेत्र में उपरोक्त निरस्तीकरण नोटिस बड़ी संख्या में निर्गत किये गये हों वहॉ क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा नोटिस निर्गत किये जाने की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों में "सार्वजनिक सूचना" द्वारा भी सूचित की जायेगी।

कार्यालय आदेश सं0 671–674/एसआईडीसी/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 14.06.2017 के प्रस्तर–2 व 3 को उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन के फलस्वरूप प्राधिकरण के औद्योगिक भूखण्डों के हस्तांतरण एवं समय विस्तारण सम्बन्धी नीतियों हेतु निर्गत कार्यालय आदेश सं0 2043–46/एसआईडीसी/आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 18.12.2018 तथा कार्यालय आदेश 3896–3902/यूपीसीडा/ आईए/पालिसी वाल्यूम–17 दिनांक 03.09.2019 के प्रावधानों को उपरोक्तानुसार प्रतिस्थापन की सीमा तक स्वतः संशोधित माना जायेगा ।

उपरोक्त संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संदर्भ सं0 1027–1035 /यूपीसीडा/औ0 क्षे0/ पालिसी - वाल्यूम-17 दिनांक 29.7.20

प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
2. मा0 सदस्यगण, उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण।
3. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, यूपीसीडा, कानपुर।
5. समस्त अनुभागाध्यक्ष, यूपीसीडा, कानपुर।
6. सहायक महाप्रबन्धक(औ0क्षे0)/प्रभारी(औ0क्षे0), यूपीसीडा, कानपुर।
7. समस्त क्षेत्रीय प्रबन्धक/परियोजना अधिकारी, यूपीसीडा।
8. समस्त अधिकारी/कर्मचारी, औद्योगिक क्षेत्र अनुभाग, मुख्यालय, यूपीसीडा, कानपुर।
9. गार्ड फाईल।

(मयूर माहेश्वरी)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

Scanned with CamScanner